न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 02/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. चन्दणाई पत्नी स्व. भंवरलाल जाति घांची निवासी— पंचोलनाडी बेरा नवोड़ा, धीनावास रोड़ सोजत सिटी, तहसील— सोजत, जिला— पाली।	01.	कन्हैयालाल पुत्र स्व. भंवरलाल जाति घांची, निवासी— बेरा नवोड़ा, पंचोलनाढी, धीनावास रोड़, तहसील— सोजत हाल खैरवा बेरा असन की बावड़ी तहसील व जिला— पाली।
	02.	सुगनादेवी पुत्री भंवरलाल पत्नी सोहनलाल निवासी— अण्दावालों का बास, जोधपुरीया गेट के अंदर सोजत सिटी तहसील— सोजत, जिला— पाली।
	03.	सुशीला पुत्री भंवरलाल पत्नी नेमाराम जाति पंचालनाडी बेरा नवोड़ा, धीनावास रोड़ सोजत सिटी, तहसील— सोजत, जिला— पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितिः—

1. **श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

—: निर्णय :—

दिनांक — 06/03/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधिनियम **धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण और कल्याण अधिनियम 2007** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या एक एवं प्रार्थीया का पुत्र कन्हैयालाल है जिसके पास ट्रैक्टर है जो ट्रैक्टर से खेतीबाडी कर महिने के करबी 25—30 हजार रूपए महिने के आसानी से कमा लेता है तथा प्रार्थीया के नाम से जो कृषि भूमि थी जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ धोखाधड़ी करे हुए उसको अंधेरे में रखते हुए उससे बेचान करवा कर लाखों रुपए जो प्राप्त हुए वह तीनों अप्रार्थीगण ने आपस में बांट कर ले लिए और प्रार्थीया को खाली हाथ रवाना कर दिया। अप्रार्थी संख्या दो सुगनादेवी जो प्रार्थीया की पुत्री है जो स्वयं मेहन्दी की खुदाई, कंटीग करके प्रतिमाह सीजन में बीस से पच्चीस हजार रूपए आसानी से कमा लेती है तथा उसके दो पुत्र है। बड़े पुत्र महेन्द्र के पास बड़ौदा में स्वयं की दुकान है जो महिने के 50,000/— रूपए आसानी से कमा लेता है तथा छोटा पुत्र महेन्द्र जो मेहन्दी के बोरे खरीद कर वापस बेच कर उससे करीब 50 हजार रूपए आसनी से कमा लेता है । आम दिनों में कमठे की मजदूरी होती है और शाम सुबह मेहन्दी के कोण बनाते है, जिससे भी प्रतिदिन के 500/— रूपए आसानी से कमा लेती है। अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

3 सुशीलादेवी स्वयं मेहन्दी की खुदाई व कटींग का कार्य करके सीजन में प्रतिमाह 20 से 25 हजार रूपए कमा लेती है तथा आम दिनों में मेहन्दी के कोण बनाती है, जिससे भी 15 से 20 हजार रूपए महिने के आसानी से कमा लेती है । उसके तीन पुत्र है जो दो बाहर दुकानें पर नौकरी करके 40 से 50 हजार रूपए आसानी से कमाते है। इस प्रकार तीनों ही अप्रार्थीगण के पास पर्याप्त आमदनी के स्त्रोत है। जिससे प्रार्थीया को भरण पोषण का खर्चा देने में सक्षम है। प्रार्थीया के पति स्व भंवरलाल के नाम जो भी कृषि भूमि थी वह कृषि भूमि भी अप्रार्थीगण तीनों ने अपने नाम राजस्व रेकर्ड में फौदगी म्यूटेशन के ज़रिए दर्ज करवा दी तथा मालिक बन कर बैठ गए । प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से भरण पोषणा बाबत् कई बार मांग की, लेकिन उन्होनें देने से मना कर दिया। प्रार्थीया एक बुजुर्ग वृद्ध सीनियर सिटीजन 78 वर्षीय महिला है जो अपने जीवनयापन करने में तथा मजदूरी कर अपन पेट भरने में सक्षम नही है। प्रार्थीया के पति ने बेरा नवोडा पर स्वयं व अपनी पत्नी के रहने के लिए एक पक्का मकान बनाया था जिसमें अप्रार्थीया सुशीला ने जोर जबरदस्ती अंदर घुस कर प्रार्थीया के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है । प्रार्थीया दर–दर की ठोकरे खाती है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया नम्बर 3 सुशीला से प्रार्थीया का रहवासीय मकान तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया को अपनी वृद्धावस्था में भरण पोषण, कपड़े लत्ते, चिकित्सा व्यय एवं सेवा, चाकरी के लिए प्रतिमाह करीब 20000/– रुपए दिलवाए जाने की ईस्तदुआ की है। अप्रार्थीगण स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित। पृथक से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से जबाब प्रार्थना पत्र का अवसर समाप्त कर जबाब बन्द किया गया।

प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। बहस के दौरान प्रार्थीया ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पास आमदनी के प्रर्याप्त साधन है। किन्तु वे उसका भरण पोषण नही करते है। जिससे प्रार्थीया को प्रर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नही हो पा रही है तथा भरण पोषण हेतु कैलाश से प्रतिमाह 20000/– रूपये दिलाये जाने व प्रार्थीया को उसके रहवासी मकान से बेदखल करने से रोके जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र गलत व झूठा है। प्रार्थीया की सेवा चाकरी उसके पुत्र कन्हैयालाल द्वारा की जाती है। जिससे प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं समस्त दस्तावेजात का अध्यय कर उभय पक्षो द्वारा दिये गये तर्को पर मनन किया। वृद्वावस्था में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके विधिक वारिसानों की होती है। अप्रार्थी संख्या 01 कन्हैयालाल प्रार्थीया का पुत्र है। लिहाजा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है। फलतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिमाह 2000/– रूपये प्रार्थीया को भरण–पोषण का खर्चा बतौर प्रतिमाह प्रार्थीया के बैंक खाते में अदा/जमा करवा करवाने हेतु पाबंद किया जाकर पालना मंगवाई जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

द्वारा प्रतिमाह 2000/– रूपये प्रार्थीया को भरण–पोषण का खर्चा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 21.03.2023 से प्रतिमाह देने हेतु आदेशित किया जाता है। जो प्रत्येक माह प्राप्ति रसीद सत्यापित करके न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करेंगें। अप्रार्थीण प्रार्थीया को उक्त रहवासीय मकान से बेदखल नही करेगें। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, सोजत को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 06/03/2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली